FORM No. III (प्रारूप संख्या–3)

जी.सी.एस.एस.थ. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

ओमा देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 44 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-11-2022	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट के दादा हणमान एवं पिता कजोड़ का देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 320 भरा गया था। जो विरासत का नामान्तरकरण 06.06.1992 को कैम्प में स्वीकार किया गया था। मृतक हणमान एवं कजोड़ के वारिसान के बावत रिपोर्ट नहीं ली गई अपूर्ण राजरे के आधार पर ही आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट कजोड़ कि पुत्री व हणमान कि पौत्री/पोती है। विवादित आदेश कि अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अतः तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 06.06.1992 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम ठिकरिया संशोधित फर्माया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावें। वकील रेस्पो. संख्या 2 ता 4 कि ओर से उपस्थित। अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई एवं रेस्पो. नं. 2 ता 4 द्वारा भूमि पर लिये गये लोन की राशि भी जमा कराने हेतु अपनी सहमति जताई। वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट जो कजोड़ की पुत्री है एवं हणमान की पौत्री/पोती है जिनको हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही विरासत के हक अधिकार प्राप्त है। नामान्तरकरण संख्या 320 तन ग्राम ठिकरिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ओमा देवी(अपीलान्ट) का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं है जो से दर्ज होना चाहिए था। अपीलान्ट का नाम हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने व लोन कि राशि भी जमा कराने हेतु वकील रेस्पो. द्वारा अपनी सहमति जताई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। रेस्पो. नं. 2 ता 4 द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को स्वीकार करने पर अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 06.06.1992 बाबत नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम ठिकरिया अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को अपील इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मृतक [illegible] हणमान के विधिक वारिसान कि जांच कर कार्यवाई करें एवं [illegible] साथ उक्त भूमि पर जिस बैंस से लोन ले [illegible] जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण पुनः [illegible]। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर [illegible] साथ निर्णय कि प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया।	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.12 16:05:46 IST
Reason: Self Attested